बिहार सूचना आयोग

सूचना भवन, चतुर्थ तल, नेहरू मार्ग, बिहार, पटना–800015
दूरभाष– 2215713, 2235059, फैक्स–2235466

संख्या–1 / वि0–27 / 2015 / ***536*** / बि0सू0आ0   पटना, दिनांक– ***10*** जनवरी,,2022

अत्यावश्यक सूचना

आयोग में दायर विभिन्न वादों की सुनवाई के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आगंतुकों (अपीलकर्ताओं एवं सरकारी पदाधिकारियों) का आगमन होता है। दूसरी ओर गृह(विशेष) विभाग, बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक–38, दिनांक–04.01.2022 द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रतिबंध घोषित किए गए हैं जिनमें सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर रोक भी शामिल है जबकि आज प्रकशित समाचारों के अनुसार राज्य के कम–से–कम सात जिलों में कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक वैरिएंट ओमिक्रोन के पाए जाने की पुष्टि हुई है। साथ ही, आयोग कार्यालय के भी कम–से–कम नौ कर्मी आर.टी.पी.सी.आर. जाँच में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।

2. उपर्युक्त तथ्यों तथा गृह (विशेष) विभाग के पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में आयोग कार्यालय परिसर में सभी आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाना अनिवार्य है।

3. ऐसी स्थिति में गृह (विशेष) विभाग द्वारा उपर्युक्त आदेश में कोई अनुवर्ती संशोधन किए जाने तकः

I. आयोग में दायर सभी मामलों की केवल **वर्चुअल माध्यम (माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अथवा किसी अन्य डिजिटल ऑडियो / विडियो माध्यम)** से की जाएगी और आयोग कार्यालय परिसर में सभी आगंतुकों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा,

II. वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हेतु सभी संबंधित पक्षकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा के न्यायालय में सूचीबद्ध मामलों के सम्बन्ध में आयोग के ईमेलः **bic.court1@gmail.com** एवं राज्य सूचना आयुक्त, श्री प्रमोद कुमार ठाकुर के न्यायालय में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में आयोग के ईमेलः **bic.court3@gmail.com** पर वाद संख्या, सुनवाई की तिथि / समय, संबंधित न्यायालय का नाम, अपने मोबाइल फोन संख्या एवं ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करते हुए सुनवाई की तिथि से कम–से–कम तीन दिनों पूर्व अपना अनुरोध अवश्य प्रेषित कर दें,

III. जो आवेदक वर्चुअल माध्यम से सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं हों, वह इस आशय का अनुरोध सुनवाई की तिथि से कम से कम तीन दिनों पूर्व अनिवार्यतः आयोग के ईमेल **bic.court1@gmail.com** (राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा के न्यायालय में सूचीबद्ध मामलों के सम्बन्ध में) **अथवा bic.court3@gmail.com** (राज्य सूचना आयुक्त, श्री प्रमोद कुमार ठाकुर के न्यायालय में सूचीबद्ध मामलों के सम्बन्ध में) पर प्रेषित कर दें। ऐसे आवेदकों के

वादों की सुनवाई वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था समाप्त हो जाने के बाद नियत क्रमानुसार की जायेगी,

IV. आयोग में वर्तमान में पंजीकृत अथवा सुनवाई हेतु सूचीबद्ध मामलों से संबंधित संबद्ध नए/अतिरिक्त कागजात **सुस्पष्ट** एवं **पठनीय पी.डी.एफ. अटैचमेंट** के रूप में आयोग के ईमेलः **bsicpatna@gmail.com** पर सुनवाई की तिथि से कम से कम तीन दिनों पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिया जाए **अन्यथा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा**,

V. किसी भी परिस्थिति में आयोग के प्राप्ति काउंटर पर हाथों–हाथ, नए द्वितीय अपील/शिकायत आवेदन सहित, कोई कागजात स्वीकार नहीं किये जायेंगे और ऐसे आवेदकों को अपना आवेदन/कागजात आयोग के प्राप्ति काउंटर के बाहर रखे गए ड्राप बॉक्स में डालना होगा जिसकी पावती उन्हें अलग से प्रेषित की जायेगी अथवा इसकी सूचना सम्बंधित व्यक्ति द्वारा अपना मोबाइल फ़ोन अंकित किया हुआ रहने की स्थिति में एस.एम.एस. के माध्यम से दी जायेगी,

VI. आयोग में नए द्वितीय अपील/शिकायत आवेदन डाक अथवा ईमेल के माध्यम से दायर किए जा सकेंगे बशर्ते कि अपील/शिकायत आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक कागजात सुस्पष्ट एवं पठनीय हो,

VII. आयोग में वर्चुअल सुनवाई हेतु सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई की सूचना सभी संबंधित पक्षकारों को उनका मोबाइल फोन आयोग के अभिलेखों में उपलब्ध होने की स्थिति में एस. एम. एस. के माध्यम से दी जाएगी। जिन पक्षकारों का मोबाइल फोन संख्या आयोग के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें आयोग के वेबसाइट (**http://sic.bih.nic.in**) को नियत अंतराल पर देखते रहने की सलाह दी जाती है।

4. **यह व्यवस्था दिनांक–11.01.2022 से अगले आदेश तक प्रभावी होगी।**

5. इसमें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।

10/1/22

(अरूण कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक– 1/वि0–27/2015/***536***/बि0सू0आ0 पटना, दिनांक– ***10*** जनवरी,2022

प्रतिलिपिः माननीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के आप्त सचिव/पेशकार/संबद्ध कर्मी/**राज्य सूचना आयुक्त, श्री प्रमोद कुमार ठाकुर** के आशुलिपिक/पेशकार/संबद्ध कर्मी, बिहार सूचना आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/22
अवर सचिव

ज्ञापांक– 1/वि0–27/2015/***536***/बि0सू0आ0 पटना, दिनांक– ***10*** जनवरी,2022

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, सुश्री पूजा को आयोग के बेवसाईट पर उक्त सूचना प्रकाशित करने एवं वर्चुअल सुनवाई हेतु व्यवस्था करने हेतु/आयोग के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/22
अवर सचिव